संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004)
www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in
Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

–::विज्ञप्ति::–

नीट–2018 द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम–2018 के अनुकम में प्रदेश के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण की आनलाईन काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देश दिनांक 01/11/18 एवं डब्लू.पी. 29461/2018 माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ इंदौर के निर्देश दिनांक 24/12/18 के अनुक्रम में रिक्त सीटों की पूर्ति के लिये तृतीय चरण में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन/अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

1/ **मैरिट सूची तैयार किये जाने का कार्यक्रम–**

क.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पजीयन	दिनांक 03/01/19 से दिनांक 10/01/19 रात्रि 11:59 बजे तक
2	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 04/01/19 से दिनांक 11/01/19 रात्रि 11:59 बजे तक
2	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 14/01/2019

नोटः–

1– अभ्यार्थी प्रकाशित ऑनलाइन पंजीयन/अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम अनुसार प्रकाशित मैरीट सूची के आधार पर प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते है।

2– उक्त प्रवेश पंजीयन/अभिलेख सत्यापन व प्रवेश कार्यक्रम डब्लू.पी. 29461/2018 में माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ इंदौर के निर्देश दिनांक 24/12/18 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

3– उक्त प्रवेश पंजीयन/अभिलेख सत्यापन जिन अभ्यार्थियों ने पूर्व में पंजीयन/अभिलेख सत्यापन कराया है उन्हे कराने की आवश्यकता नहीं है।

4– उपरोक्त प्रवेश काउंसिलिंग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्रवेशानुमति प्राप्त व माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के अनुक्रम शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुष महाविद्यालयो को सम्मिलित किया जा रहा है।

5– अभ्यर्थियों को उक्त प्रवेश नियम के नियम–9.1 अनुसार सीट आवंटन का अवसर दिया जावेगा।

6– नियम, आवश्यक प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम–2018 देखे जो **www.ayush.mp.gov.in / www.ayush.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है।

7– प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश नियम–2018 में संलग्न फीस चार्ट के पूर्ण रूप से अध्ययन पश्चात् ही शासकीय (स्वशासी)/निजी महाविद्यालयों का चयन करें। चयन के उपरान्त यह माना जावेगा कि आपको संबंधित महाविद्यालय की प्रदर्शित फीस संरचना स्वीकार्य है।

8– उक्त प्रवेश नियम 2018 के नियम 14 अनुसार ऑफलाइन काउसिंलिग के बारे में विस्तृत कार्यक्रम व कार्यक्रम स्थल की जानकारी प्रकाशित की जावेगी।

9– मैरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in पर किया जावेगा। मैरिट सूची के आधार पर प्रवेश काउसिंलिग हेतु अभ्यार्थियों को निर्धारित दिनांको को काउसिंलिग स्थल पर उपस्थित होना है, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रदाय की जाएगी अभ्यार्थियो को सलाह दी जाती है उक्त विभागीय वेबसाइट के लगातार सपर्क में रहे।

10– प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त संचालनालय आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

11– विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शेड्यूल की जानकारी संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल की बेबसाइट **www.ayush.mp.gov.in / www.ayush.mponline.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ0 जे.के. गुप्ता)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
संचालनालय आयुष म0प्र0